उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय,

चतुर्थ / पंचम तल,इन्दिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ–226001

पत्र संख्या–एफएस / 2016 / 26121 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2206 / जेडी दिनांक:जनवरी 04,2017

सेवा मे,

अधीशासी अभियन्ता (हा0 / इंटी0 सेल)
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन,विपिनखण्ड,
गोमतीनगर,लखनऊ।

विषय:– खसरा नं0–ग्राम–बाघामऊ, गोमतीनगर विस्तार,जिला–लखन ऊ मे मेसर्स एएनएस डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप मे प्रस्तावित संशोधित ईडब्ल्यूएस / एलआईजी भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

यूआईडीनम्बर–2016 / 26121 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2206 / जेडी दिनांक–03.12.16

....

कृपया अपने पत्र संख्या–350 / इइ / एचटीआईजी / 2016 दिनांक–19.09.16 तथा आप द्वारा फायर सर्विस वेवसाइड पर अपलोड टिकट नम्बर–2016 / 26121 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2206 / जेडी दिनांक–03.12.16 के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित संशोधित ईडब्ल्यूएस / एलआईजी भवन का पुनःप्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्तावित संशोधित ईडब्ल्यूएस / एलआईजी भवन के मानचित्र मे प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ एवं अभिलेखो का भौतिक परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर की आख्या दिनांक–10.12.16 व मुख्य अग्निशमन अधिकारी ,लखनऊ की आख्या दिनांक–13.12.16 व उपनिदेशक लखनऊ / फैजाबाद की आख्या दिनांक–15.12.16 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया जो निम्नवत है–

भवन की संरचनाः–

1–कुल भूखण्ड एरिया–32116.93 वर्गमीटर।

ई0डब्लू0एस0–

क्रम सं0	टावर	भूतल(वर्गमी0)	प्रथम तल (वर्गमी0)	द्वितीय तल (वर्गमी0)	तृतीय तल (वर्गमी0)	चतुर्थ तल (वर्गमी0)
1.	टावर–ए	1875.1	1875.1	1875.1	1875.1	1875.1
2.	टावर–बी	407.7	407.7	407.7	407.7	407.7
3.	टावर–सी	1875	1875	1875	1875	1875
4.	टावर–डी	821.6	821.6	821.6	821.6	821.6

एलआईजी–

1.	टावर–ई	977.2	977.2	977.2	977.2	977.2
2.	टावर–एफ	2199	2199	2199	2199	2199
3.	टावर–जी	977.2	977.2	977.2	977.2	977.2
4.	टावर–एच	977.2	977.2	977.2	977.2	977.2
5.	टावर–जे	1783.6	1783.6	1783.6	1783.6	1783.6

2–भवन के प्रत्येक टावर की ऊँचाई–14.80 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हैं।

ढाँचागत व्यवस्था –

1–पहुँच मार्ग–भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 24.00 मी0 रोड की चौड़ाई है।

2–प्रवेश द्वार की चौड़ाई–भवन के मानचित्र मे प्रवेश व निकास द्वार की चौड़ाई–06.00 मी0 है, जो मानक के अनुसार है।

3–सेटबैक–भवन का न्यूनतम सैटबैक निम्नवत हैं–

- अग्रभाग– 06.00 मीटर।
- पृष्ठभाग– 06.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्र थम– 06.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय– 06.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें।सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

4–निकास मार्ग–प्रस्तावित भवन मे स्टेयर केस की चौडाई निम्नवत है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं–

- टावर–बी मे एक स्टेयर केस– 01.50 मी0।
- टावर–डी ,ई,जी व एच प्रत्येक मे दो स्टेयर केस–01.50 मी0।
- टावर–जे मे तीन स्टेयर केस– 01.50 मी0।
- टावर–ए ,सी ,एफ प्रत्येक मे चार स्टेयर केस– 01.50 मी0।

एक ब्लाक से दुसरे ब्लाक के मध्य 06.00 मी0 दूरी प्राविधानित है।

5–रिफ्यूज एरिया का विवरण–आवश्यक नही है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था–ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1–भूमिगत टैंक–भूमिगत टैंक–150000 ली0 क्षमता का स्थापित कराया जाना प्र ाविधानित है।

2–पम्प–भूमिगत टैक के पास एक हाइड्रेन्ट पम्प 2850 एलपीएम एक डीजल चालित पम्प 2850 एलपीएम एक जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का स्थापित कराया जाना प्रविधानित है।

3–**होजरील**–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक मे होजरील लैण्डिग वाल्ब आई0एस0–3844 मानको के अनुसार प्राविधानित हैं।

4–**वेटराइजर**–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक मानचित्र मे वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0–2005 के मानको के अनुरुप प्राविधानित है।

5–**यार्ड हाइडेन्टस्**–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाईड्रेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 01339:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

6–**हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम**–भवन मे हस्तचालित फायर एलार्म सिस्टम प्राविधानित है।

7–**स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**–आवश्यक नही है।
8–**स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**–आवश्यक नही है।
9–**टेरिस टैंक**–भवन के प्रत्येक टावर के टैरिस पर टेरिस टैंक–10000 ली0क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
10–**टेरिस पम्प**–आवश्यक नही।
11–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर)**–भवन मे फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधानित है, जो मानको के अनुरुप है ।
12–**स्मोक एक्सटेक्शन सिस्टम**–आवश्यक नही है।
13–**एग्जिट साइनेज**–सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज प्राविधानित किये गये है।
14–**पी0ए0सिस्टम**–आवश्यक नही है।

उपरोक्तानुसार मेसर्स ए0एन0एस0 डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई मे अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल विल्डिंग कोड आफ इंडिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक–अनुमोदित मानचित्र।

5/1/17

(जे0के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक (पी),
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।
संयुक्त निदेशक(पी०)
फायर सर्विस मुख्यालय
उ० प्र०, लखनऊ

प्रतिलिपि–

1– उप निदेशक, फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद को सूचनार्थ एवं समस्त अभिलेखों के सुरक्षित रख रखाव तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं समस्त अभिलेखों के सुरक्षित रख रखाव तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।